

न्यायालय कलेक्टर कटनी (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक/37/अ-20(3)/2024-25

1. वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल कटनी

2. EMIL Mines and Mineral Resources Limited.....आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0शासन.....अनावेदक

/आदेश/

(आदेश दिनांक-02.12.2024 को पारित)

इस न्यायालय के पारित आदेश दिनांक-21.11.2024 के माध्यम से नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.11.2024 के निर्णय अनुसार ग्राम सिमरा तहसील रीठी स्थित भूमि ख0नं0 26 रकवा 55.02 हे0 में से 10.00 हे0 भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने के संबंध में फर्म/आवेदक ई.एम.आई.एल. माइंस एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड को समिति के निर्णय अनुसार निर्धारित मद में राशि 88,26,720/-रूपये जमा किये जाने हेतु आदेशित किया गया था।

फर्म/आवेदक ई.एम.आई.एल. माइंस एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड के द्वारा चालान क्रमांक/051/9999999/0029/11/24/108539 दिनांक-25.11.2024 को राशि 88,26,720/-रूपये जमा कर चालान की प्रति सहित भूमि आवंटन का आदेश पारित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय दिनांक-18.11.2024 के पालन में ग्राम सिमरा तहसील रीठी स्थित भूमि ख0नं0 26 रकवा 55.02 हे0 में से 10.00 हे0 भूमि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहाड़ चट्टान मद/ईमारती अथवा ईंधन के लिए सुरक्षित मद से पृथक करते हुए म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका-8 की उप कंडिका-7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु म0प्र0शासन वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्ती हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रीठी को भेजी जाये। आदेश की एक-एक प्रति वनमण्डलाधिकारी अधिकारी कटनी, प्रभारी अधिकारी नजूल शाखा तथा आवेदक ई.एम.आई.एल. माइंस एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड को भेजी जाये। प्रकरण समाप्त, नस्ती दाखिल रिकार्ड हो।



कलेक्टर

जिला-कटनी

निरंतर...2

पृ0क्र0/19745
/री0कले0/2024


कटनी दिनांक- 02 .12 .2024

प्रतिलिपि:-

1. वनमण्डलाधिकारी कटनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. तहसीलदार रीठी जिला कटनी को सूचनार्थ एवं आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी नजूल शाखा कटनी को सूचनार्थ।
4. आवेदक ई.एम.आई.एल. माइंस एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड को सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-कटनी





मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 11155951804

ग्राम: सिमरा			पटवारी हत्का: सिमरा कला			तहसील: रीठी			जिला: कटनी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160235 2888	26/2 (S)		10.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्र. क्र.0479/ब-121/2022-23 एवं आदेश दिनांक 16/02/2023के अनुसार दिनांक 08/05/2023 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0046/अ-20(3)/2024-25 एवं आदेश दिनांक 27/11/2024के अनुसार दिनांक 18/12/2024 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0037/अ-20(3)/2024-25 एवं आदेश दिनांक 02/12/2024के अनुसार दिनांक 04/12/2024 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0037/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 02/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित
81U37A DD56P LH0											अमृत सरोवर ०.४० हे० में निर्मित श्रीमान न्यायलय कलेक्टर महोदय के रा प्र क्रमांक ३७/अ- २० (३) /२०२४ -२५ आदेश दिनांक ०२/१२ २०२४ अनुसार इ एम् आई एल माइंस एंड मिनरल्स रिसोर्सेस लिमिटेड रकबा ५५ .०२ हेक्ट में से १०.०० हेक्ट भूमि क्षति पूर्ती वृक्षारोपण हेतु म.प्र . शासन वन विभाग को हस्तांतरित की गयी है श्रीमान न्यायलय कलेक्टर महोदय के राजस्व प्रकरण क्रमांक ४६/अ-२० (३) /२०२४ -२५ आदेश दिनांक २७/११ २०२४ अनुसार म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई पन्ना को रकबा ५५ .०२ हे में से १२.०० हे भूमि क्षति पूर्ती वृक्षारोपण हेतु म.प्र. वन विभाग को हस्तांतरित की गयी है




मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर नं. : 11155953435

वर्ष: 2024-25

दिनांक : 04-03-2025 13:11:01



ब्लॉक सं.:	ग्राम:सिमरा	हल्का:सिमरा कला	तहसील:रीठी	जिला:कटनी
सर्वेक्षण सं.: 26/2(S)	क्षेत्रफल:10.0000(हेक्ट.)	भू.रा.शा:0	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m
भूस्वामी: (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था			Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1 Date: 2025.03.04 13:14:19 IST Reason: Digital Extract of Land Record - Map Copy CLR No. : 11155953435 (हस्ताक्षर)	

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted at <https://mpbhulekh.gov.in>, and reflects the status of the entries as on the date mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.